

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द
(राकेश कुमार आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

अपील संख्या :- 51/2017
दायर दिनांक :- 28-11-2017
निर्णय दिनांक :- 16-08-2019

अनवान

श्री रतनलाल पिता सोहनदास वैष्णव, निवासी छडंगाखेडी, तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

— निगराकार

बनाम

1. नगजीराम पिता वरदा कुम्हार निवासी छडंगाखेडी, तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
2. रामचन्द्र पिता वरदा कुम्हार निवासी छडंगाखेडी, तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
3. मोहनलाल पिता वरदा कुम्हार निवासी छडंगाखेडी, तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
4. बालु पिता वरदा कुम्हार निवासी छडंगाखेडी, तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
5. डालु पिता वरदा कुम्हार निवासी छडंगाखेडी, तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
6. गोविन्द पिता स्वं सोहनलाल कुम्हार निवासी छडंगाखेडी, तह0 रेलमगरा
जिला राजसमन्द
7. ग्राम पंचायत सांसेरा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सांसेरा, तहसील रेलमगरा
जिला राजसमन्द

— गैर निगराकार

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान राज अधिनियम 1994 विरुद्ध पट्टा संख्या
दिनांक 07/09/1981 जो बुक संख्या - जारी ग्राम पंचायत सांसेरा

उपस्थित :-

- 1- श्री अक्षय पालीवाल, अधिवक्ता निगराकार
- 2- श्री दिग्विजय सिंह, अधिवक्ता गैर निगराकार

—: निर्णय :-


प्रस्तुत निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है । ग्राम पंचायत सांसेरा ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अन्तर्गत पट्टा संख्या - दिनांक 07.09.1981 को श्री वरदा कुम्हार के नाम जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे से व्यथित होकर यह निगरानी पेश की है।

निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी ।



u

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । अधिवक्ता निगराकार ने अपनी बहस में कथन किया है कि यह गैर निगराकार द्वारा बनाया गया पट्टा फर्जी एवं कुटरवित है। उक्त पट्टा पंचायती राज अधिनियम के विपरित है। गैर निगराकार का पट्टा देखने मात्र से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो रहा है कि यह पट्टा फर्जी रूप से तैयार किया गया है। न तो पट्टा के उपर पट्टा संख्या है न ही बुक नंबर है ऐसी स्थिति में पट्टा स्पष्ट रूप से फर्जी एवं बनावटी बनाया जाना प्रमाणित हो रहा है। उक्त पट्टे को दिनांक 7.9.1981 को जारी होना दर्शा रखा है जबकि निलामी की दिनांक 1.12.1979 को निलामी के जरिये 65/- रुपये की राशि लेकर आबादी भूमि का विक्रय विलेख गैरनिगराकार के पक्ष में जारी होना दर्शा रखा है जब कि कॉलम संख्या-2 में किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं कर रखा है इसलिये यह पट्टा पंचायत द्वारा जारी किया होना प्रमाणित नहीं हो रहा है। प्रथम दृष्टया उक्त पट्टा फर्जी होना प्रमाणित हो रहा है। इस पट्टे के बाद वरदा के पुत्र डालचन्द ने दिनांक 2.3.2001 को इसी जमीन के संबंध में एक पट्टा ओर तैयार किया गया है। उक्त दोनो पट्टो को देखने से पडौस एक ही दर्शा रखे है इसलिये कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि एक ही भुखण्ड के दो-दो पट्टे जारी किया जावे। उक्त पट्टे के अवलोकन से यह कही नहीं दर्शा रखा है कि यह पट्टा उक्त का किस जगह का है। न तो पट्टे में आराजी नंबर दर्शा रखे है। दोनों के पडौसो का अवलोकन करने से स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो रहा है कि पुर्व में वरदा जी कुम्हार का कच्चा मकान दर्शा रखा है जब कि पहले वाले पट्टे में पश्चिम दिशा में आम रास्ता 16 गज दर्शा रखा है जब कि ऐसा कतई सम्भव नहीं है। दोगो ही पट्टे सन्देहास्पद है और फर्जी रूप से तैयार किये गये है। उक्त फर्जी पट्टे के संबंध में प्रार्थी/निगराकार ने श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, राजसमन्द के यहा दिनांक 14.07.2015 को उक्त फर्जी पट्टे के आधार पर अतिक्रमण हटवाने व पट्टे की जांच करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय राजसमन्द ने विकास अधिकारी रेलमगरा को उक्त पट्टे की जांच करने के निदेश दिये गये। आप न्यायायल के आदेशानुसार पंचायत प्रसार अधिकारी ने मौका मुआयना कर उक्त पट्टे की जांच की जिसमें यह तथ्य पाये गये है कि उक्त गैरनिगराकार ने अवैध रूप से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है जिसके विरुद्ध धारा 91 की कार्यवाही जरिये प्रकरण संख्या-13/15 तहसीलदार रेलमगरा के यहा विचाराधीन है और प्रार्थी की शिकायत अनुसार उक्त आराजी संख्या-417 किस्म मंगरी/बिलानाम भूमि की सीमा जानकारी तहसील कार्यालय रेलमगरा द्वारा की जानकीरी की जाकर अतिक्रमण हटवाने संबंधी कार्यवाही किया जाना जाहिर किया गया है। उक्त जांच अधिकारी की जांच में यह सारांश आया है कि पट्टो की वस्तुस्थिति स्पष्ट नहीं होने से पट्टे संदेहास्पद है इससे यह स्पष्ट प्रमाणित हो रहा है कि उक्त पट्टे फर्जी रूपेण तैयार किये गये है। निगराकार ने ग्राम पंचायत सांसेरा में सूचना के अधिकार के तहत उक्त पट्टे की प्रमाणित प्रतिलिपि के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया जहा से ग्राम पंचायत सांसेरा ने दिनांक 28.05.2015 को यह जानकारी दी गई कि वरदा पिता माना जी कुम्हार के नाम से ग्राम छडगखेडी में ग्राम पंचायत सांसेरा द्वारा कोई पट्टा जारी नहीं किया गया। इन सब तथ्यों से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो गया है कि गैरनिगराकार के पिता ने फर्जी रूप से यह पट्टा बनाया गया है तथा इस फर्जी पट्टे के आधार पर सरकारी भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा है इसलिये उक्त पट्टा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के विपरित होने से निरस्त किया जाना आवश्यक है। आक्षेपित पट्टे को निरस्त किया जाना आवश्यक है अन्यथा इस पट्टे के आधार पर गैर निगराकार नाजायज कब्जा कर पट्टे की आड में अपना स्वामित्व होना क्लेम करेगा। अतः निवेदन है कि निगरानी निगराकार स्वीकार की जाकर गैर निगराकार द्वारा बनाया गया फर्जी पट्टा दिनांक 7.9.1981 को व ग्राम पंचायत द्वारा जारी उपरोक्त पट्टा निरस्त किया जावे। निगरानी स्वीकार फरमाई जावे।



गैर निगराकार के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में अवगत कराया कि ग्राम पंचायत सांसेरा द्वारा श्री वरदा पिता मना कुम्हार निवासी छडंगाखेडी ग्राम पंचायत सांसेरा तहसील रेलमगरा को जारी पट्टा दिनांक 07.09.1981 वैधानिक एवं विधि अनुसार जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा सभी कागजी कार्यवाही पूर्ण कर पट्टा दिया गया है। अतः विपक्षीय के पिता श्री वरदा पिता मना कुम्हार निवासी छडंगाखेडी को दिया गया पट्टा सही एवं वैधानिक है। निगराकार की निगरानी अस्वीकार फरमायी जावे एवं इस सम्बन्ध में प्रस्तुत निगरानी सव्यय खारीज फरमाई जावे।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। उभयपक्ष की बहस पर गहन मनन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अध्ययन किया गया। विवादित भूखण्ड का पट्टा गैर निगराकार के पिता श्री वरदा जी कुम्हार को दिनांक 07.09.1981 को जारी किया गया। जिसकी पुष्टि ग्राम पंचायत सांसेरा द्वारा प्रस्तुत रेकार्ड से होती है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा कार्यवाही विधि अनुसार की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी श्री वरदा पिता मना कुम्हार निवासी छडंगाखेडी को जारी पट्टा दिनांक 07.09.1981 बहाल रखा जाता है। निगराकार की निगरानी खारीज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 16.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



Ur
(राकेश कुमार)
अति० जिला कलक्टर
राजसमन्द